"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 मई 2017 — ज्येष्ठ 9, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 21-2/2012/नौ/55-4. — दिनांक 1-6-2017

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(फरवरी-मार्च, 2017 सत्र)

संकल्प

"यह कि 'मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 16)', को यह विधान सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अंतर्गत अंगीकृत करता है. फलस्वरूप 'मानव अंग और ऊतक का प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (संख्यांक 42/1994)' को छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया जावे."

उपर्युक्त संकल्प गुरुवार, दिनांक 30 मार्च, 2017 को छत्तीसगढ़ विधान सभा में सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

रायपुर,
दिनांक 31 मार्च, 2017

हस्ता./-
(गौरीशंकर अग्रवाल)
अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.